

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पवल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 725 दिनांक 01/10/2020

प्राथी पवन कश्यप डा 10 श्री सुरज प्रकाश सोनी  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. 110-ए/सी खण्ड 2 संख्या  
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 771 कैंडिड गाम जेवा  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26198/- जमा  
जरिये रसीद संख्या 9069/8014, 8015  
दिनांक 01/10/2020 को जमा करा दी है ।

जी + 1  
आवासीय

दिनांक 19/10/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Pawan  
20/10/2020

Pawan Kishyap

9828521570